संक्षिप्त खबरें

सरकार किसान के विकास को लेकर कटिबद्ध : सिंधिया

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) के ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुरुवार को कहा कि सरकार किसानों के विकास को लेकर कटिबद्ध है और उसने 70 साल से बेड़ियों में जकड़े किसानों को आजादी दिलाने के लिए तीन कृषि सुधार कानून बनाये हैं। सिंधिया ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पेश धन्यवाद के प्रस्ताव पर जारी चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि आन्दोलनकारी किसानों से संवाद करने की नीति के कारण ही सरकार ने किसान संगठनों के साथ ग्यारह दौर की वार्ता की है। कानूनों में किये गये बदलाव के कारण किसानों को अपने उत्पाद को कहीं भी, किसी को मनचाहे कीमत पर बेचने की आजादी दी गयी है। सरकार ने इस कानून को डेढ साल के लिए स्थगित करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि किसान देश के विकास की रीढ़ हैं। वे दुनिया का पेट भरते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणापत्र में कृषि सुधार करने का वादा किया था। तत्कालीन कृषि मंत्री ने इस संबंध में मुख्यमंत्रियों को पत्र भी लिखा था। कांग्रेस को अपनी जुवान नहीं बदलनी चाहिये।

शाह से मुलाकात करने के लिए डोभाल और सीपी एसएन श्रीवास्तव पहुंचे

नई दिल्ली, एजेंसी। किसान आंदोलन पर मचे सियासी घमासान के बीच संसद में गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल, आइबी प्रमुख और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को ट्वीट के जरिए पलटवार करते हुए कहा था कि कोई प्रोपेगेंडा देश की एकता को नहीं तोड़ सकता। एकजुट होकर प्रगति की ओर चलेंगे। कोई भी दुष्प्रचार भारत को ऊंचाइयों तक जाने से नहीं रोक सकता। गृहमंत्री अमित शाह ने ये बातें विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव के ट्वीट पर लिखी थी। गुरुवार को गाजीपुर बार्डर विपक्षी नेताओं का एक दस्ता वहां पहुंचा। इसमें 8 राजनीतिक दलों के सांसद थे। सांसदों ने हालात का जायजा लिया। अब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला से मिलेंगे और उन्हें पूरा हाल बताएंगे। इन सांसदों को दिल्ली पुलिस ने धरनास्थल से पहले ही रोक दिया था। बाद में सांसदों ने कुछ किसान नेताओं से मुलाकात की और उनकी तकलीफ को समझा।

जामिया की याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा - पुलिस का जामिया में घुसना वाजिब

नई दिल्ली, एजेंसी। साकेत कोर्ट ने नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्रों की तरफ से पुलिस पर किए गए पथराव के बाद पुलिस की तरफ से की गई कार्रवाई के मामले में जामिया की तरफ से पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की अपील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 197 का हवाला देते हुए अपील खारिज की। जामिया की तरफ से दाखिल शिकायत पत्र में कहा गया था कि पुलिस बिना अनुमति विश्वविद्यालय परिसर में घुसी व वहां संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। साकेत कोर्ट के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट रजत गोयल की अदालत ने जामिया की तरफ से दाखिल सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत दाखिल शिकायत पत्र को नामंजूर कर दिया।

उपराज्यपाल का अधिकार बढ़ाए जाने पर दिल्ली और केंद्र सरकार में ठनी

एलजी की पावर बढ़ाने पर भड़के सिसोदिया

प्रात: किरण/ संवाददाता

तीखी प्रतिक्रिया

- सिसोदिया ने दिल्ली की चुनी हुई सरकार के कामकाज में बाधा डालने की कोशिश की जा रही है

केंद्र सरकार ने दिल्ली के उपराज्यपाल के अधिकारों में बढ़ोत्तरी कर दी है उसके बाद से दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में ठन गई है। बयानों और आरोपों का दौर शुरू हो चुका है। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ाने पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के कामकाज में बाधा डालने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि तीन बार दिल्ली का विधानसभा चुनाव हार चुकी केंद्र सरकार अब पिछले दरवाजे से दिल्ली में अपनी सरकार चलाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले भी ऐसे ही अड़चनें डाली जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारों की व्याख्या की है उसके बाद ही दिल्ली सरकार अपने निर्णय ले पाई है।

उन्होंने कहा कि अब फिर से वही सब करने की कोशिश हो रही है। दिल्ली सरकार कुछ भी करना चाहेगी तो उपराज्यपाल उसमें अड़चन लगा देंगे। उन्होंने कहा कि सरकार अभी इस पूरे मामले का अध्ययन कर रही है, उसके बाद ही अगला कदम उठाया जाएगा। उनका कहना है कि पहले भी कई बार उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के कई फैसले को इस तरह से रोक दिया है। 2013 में कांग्रेस की सहायता से पहली बार 49 दिन सरकार बनाने के बाद आम आदमी पार्टी दिल्ली में तीसरी बार सत्ता में है, सभी काम ठीक तरह से चल रहे हैं ऐसे में केंद्र सरकार व्यवधान डालना चाहती है। पहले भी उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के कई अहम फैसलों में हस्तक्षेप करते हुए उसे पास नहीं किया था। जिसकी वजह से सरकार को समस्या हुई थी।

एक बार पहले भी उपराज्यपाल के अधिकारों को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल धरना दे चुके हैं, अब अधिकारों में बढ़ोतरी किए जाने से पार्टी और खफा हो गई है। अधिकारों में बढ़ोतरी की बात पता चलते ही विरोध और बयानों का दौर शुरू हो चुका है।

कैंसर के विरुद्ध अभियान में लगे व्यक्तियों का अभिनंदन किया वैंकेया नायडू ने

नई दिल्ली, एजेंसी

- विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2018 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हुई 63 प्रतिशत मृत्यु का कारण यही व्याधियां रही हैं।
- विश्व कैंसर दिवस का उल्लेख करते हुए उप राष्ट्रपति ने कहा कि कैंसर के विरुद्ध अभियान में हम सभी बदलाव के प्रभावी कारक बन सकते हैं।

उप राष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने कैंसर के विरुद्ध अभियान में लगे चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों, शोधकताओं और समाज सेवी संस्थाओं का अभिनन्दन करते हुए गुरुवार को कहा कि इस व्याधि के निदान के लिए स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए।

नायडू ने विश्व कैंसर दिवस पर जारी एक ट्वीट संदेश में कहा कि कैंसर कारक पदार्थों से दूर रहना चाहिए और स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि लक्षणों की शीघ्र जांच से कैंसर का उपचार संभव है। बाद में उप राष्ट्रपति ने सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पर लिखे एक लेख में कहा कि आज जब भारत कोविड 19 जैसी संक्रामक महामारी के विरुद्ध सफल संघर्ष कर रहा है लेकिन मधुमेह, कार्डियोवास्कुलर बीमारियों तथा कैंसर जैसी असंक्रामक व्याधियों को भी नजरंदाज नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा, हाल के वर्षों में इन्हीं असंक्रामक व्याधियों ने हमारे स्वास्थ्य और हमारी अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव डाला है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2018 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हुई 63 प्रतिशत मृत्यु का कारण यही व्याधियां रही हैं। विश्व कैंसर दिवस का उल्लेख करते हुए उप राष्ट्रपति ने कहा कि कैंसर के विरुद्ध अभियान में हम सभी बदलाव के प्रभावी कारक बन सकते हैं। आरामतलब जीवन शैली, बढ़ती आयु, पर्यावरणीय कारक आदि कैंसर के कारण हैं। उन्होंने कहा कि शुरूआती जांच, रोकथाम तथा उपचार के आधुनिक तरीकों से अनेक रोगियों को मृत्यु से बचाया जा सकता है।

लक्षणों की शुरूआती जांच के लिए मोबाइल जांच केंद्रों की सुविधा का विस्तार किया जाना चाहिए। प्राथमिकता के आधार पर इस सुविधा का प्रसार ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में पहले किया जाना चाहिए। यह बीमारी जांच से जितनी जल्दी पकड़ में आएगी, इसका इलाज भी उतना ही सफल और कारगर होगा।

सांसदों और पूर्व सांसदों ने एम. अनन्तशयनम आयंगर को किए श्रद्धासुमन अर्पित

नई दिल्ली, एजेंसी

लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला, संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी व राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद समेत तमाम केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों ने एम. अनन्तशयनम आयंगर की जयंती के अवसर पर संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में उनके चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। एम. अनन्तशयनम आयंगर लोक सभा के पूर्व अध्यक्ष थे। इस अवसर पर कई सांसदों, पूर्व सांसदों और अन्य गण्यमान्य व्यक्तियों ने भी श्रद्धासुमन अर्पित किए। लोक सभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने भी आयंगर को पुष्पांजलि अर्पित की। एम.ए. आयंगर एक वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी और प्रख्यात सांसद थे। वह केन्द्रीय विधान सभा, संविधान सभा, अंतरिम संसद और पहली से तीसरी लोक सभा के सदस्य रहे। 1952 में पहली लोक सभा के गठन के समय एम.ए. आयंगर सर्वसम्मति से लोक सभा के उपाध्यक्ष चुने गए। इससे पहले वह संविधान सभा (विधायी) के उपाध्यक्ष और अंतरिम संसद के उपाध्यक्ष पद पर भी आसीन रहे।

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की लीगल टीम ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से की मांग

नई दिल्ली, एजेंसी

विधिक एवम मानवाधिकार विभाग दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चैयरमैन एडवोकेट सुनील कुमार के नेतृत्व में विभाग के पदाधिकारीयों ने दिल्ली बॉर्डर पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे अन्नदाताओं को पानी, चिकित्सा सुविधा एवम शौचालय सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश की मांग करते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक शिकायत दर्ज करवाई। अपनी शिकायत में एडवोकेट सुनील कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए किसान आंदोलन स्थान के चारों तरफ इस प्रकार से कंक्रीट के बैरीकेट, कंटीले तारों का चक्रव्यूह से इस प्रकार किलेबंदी की है जैसे कि वो किसान ना होकर शत्रु देश की सेना हो। सुरक्षा के नाम पर केंद्र सरकार की इस किलेबंदी के कारण ना तो किसानों को पीने को पानी ही मिल पा रहा है और ना ही शौचालय की सुविधाएं जो कि हर एक नागरिक का मौलिक अधिकार है। केंद्र सरकार ने अपने इस कृत्य द्वारा यह फिर से साबित कर दिया है कि यह सरकार पूर्ण रूप से किसान विरोधी है और प्रजातंत्र में कोई विश्वास नहीं रखती है। इस विषय पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए विभाग के महासचिव एडवोकेट विकास यादव और एडवोकेट हरीश गोला ने कहा कि किसान आंदोलन स्थल पर बहुत अधिक संख्या में महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक और बच्चे भी है जिनको पीने का पानी और शौचालय सुविधा उपलब्ध न होने के कारण बहुत ही अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

सरकार के इस कृत्य से ना केवल देश में बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर भी देश कि छवि खराब हो रही है। सरकार पूरी तरह से तानाशाही रवैया अपनाए हुए है और देश में एक प्रकार से अघोशित आपातकाल की स्थिति है। अपनी शिकायत में विभाग के पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से मांग की की अतिशीघ्र उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली सरकार को निर्देश दिया जाए कि वो किसान आंदोलन स्थल पर मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध करवाएं।इस अवसर पर विभाग के पदाधिकारी गण एडवोकेट साजिद चौधरी एडवोकेट नजमा अख्तर एडवोकेट नागेश्वर कुंभकार एडवोकेट रईस फारुकी एडवोकेट शाहिद अली एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा एडवोकेट शेख इमरान एडवोकेट सतीश कुमार एडवोकेट सत्येंद्र अहलावत एडवोकेट मोहम्मद साध, एडवोकेट नरेश भरतवाल, एडवोकेट गुरजीत सिंह एवं कई अन्य अधिवक्ता गण उपस्थित थे।

पार्थो दासगुप्ता की जमानत याचिका पर सुनवाई टली

नई दिल्ली, एजेंसी

टीआरपी घोटाला मामले के आरोपी एवं ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (बार्क) के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) पार्थो दासगुप्ता की अंतरिम जमानत याचिका की सुनवाई उच्चतम न्यायालय में गुरुवार को टल गयी। दासगुप्ता ने मेडिकल के आधार पर अंतरिम जमानत का न्यायालय से अनुरोध किया है। दासगुप्ता की याचिका न्यायमूर्ति एन वी रमन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध थी, लेकिन इसकी सुनवाई स्थगित करने संबंधी अनुरोध पत्र खंडपीठ के समक्ष पेश किया गया। इसके बाद न्यायालय ने सुनवाई स्थगित कर दी। दासगुप्ता ने स्वास्थ्य संबंधी कारणों का हवाला देते हुए जमानत पर रिहा करने की गुहार लगाई है। उन्हें मेरुदंड की समस्या है और इसके इलाज के लिए मुंबई के जे.जे. अस्पताल में दाखिल कराया गया था। इससे पहले बॉम्बे उच्च न्यायालय ने बार्क के पूर्व सीईओ की अर्जी पर सुनवाई नौ फरवरी के लिए स्थगित कर दी थी। उनकी दलील है कि इस मामले में अन्य सभी आरोपी जमानत पर बाहर हैं।

मिनाक्षी का ग्रेटा थनबर्ग पर निशाना-

हमें जिस षड्यंत्र का अंदेशा था, उसके सबूत सामने आए

नई दिल्ली, एजेंसी

- ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट किया था, हम भारत में किसानों के आंदोलन के प्रति एकजुट हैं। इस पर भारत सरकार की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया दी गई थीं।

पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन की दिशा में काम करने वाली ग्रेटा थनबर्ग ने केन्द्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शनों के प्रति समर्थन व्यक्त किया था थनबर्ग ने ट्वीट किया था, हम भारत में किसानों के आंदोलन के प्रति एकजुट हैं। इस पर भारत सरकार की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया दी गई थी। भाजपा नेता मिनाक्षी लेखी ने कहा कि ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट से जिस षड्यंत्र का हमें हमेशा अंदेशा था, उसका सबूत अब सामने आ गया है कि किस तरह से षड्यंत्र चल रहा है। उन्होंने कहा कि ग्रेटा थनबर्ग एक बच्ची है अगर मेरे हाथ में होता तो मैं उसे बाल पुरस्कार देती। उसका नाम नोबेल प्राइज से हटा देती। उन्होंने कहा, नोबेल प्राइज वातावरण की सुरक्षा के लिए अच्छे कामों के लिए दिया जाता है लेकिन यहां तो जो लोग पराली जलाते हैं, वातावरण को प्रदूषित करते हैं। पानी का दुरुपयोग करते हैं। ग्रेटा थनबर्ग उनके साथ खड़ी हो गई है। यह दोहरा चेहरा इस पूरे कार्यक्रम का अब सामने आ गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि भारत को निशाना बनाने वाले प्रेरित अभियान कभी सफल नहीं होंगे। किसानों के प्रदर्शन का पॉप गायिका रिहाना और जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग द्वारा समर्थन करने पर दिन में विदेश मंत्रालय की कड़ी प्रतिक्रिया आने के बाद जयशंकर ने यह टिप्पणी की था।

पिछले तीन वर्ष में 22 लाख जन शिकायतें मिली : केन्द्र

नई दिल्ली, एजेंसी

- वर्ष 2020 में कम से कम 10,23,300 शिकायतें लंबित थीं।

सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित एक ऑनलाइन मंच पर पिछले तीन वर्ष में, 20 लाख से अधिक जन शिकायतें प्राप्त हुई हैं। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि वर्ष 2020 में केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) पर कुल 22,71,270 शिकायतें आई, जो वर्ष 2019 में 18,67,758 और वर्ष 2018 में 15,86,415 थीं। उन्होंने कहा कि इनमें से 23,19,569 शिकायतें पिछले साल, वर्ष 2019 में 16,39,856 शिकायतों और वर्ष 2018 में 15,05,950 शिकायतों का निपटारा किया गया। वर्ष 2020 में कम से कम 10,23,300 शिकायतें लंबित थीं। सिंह ने कहा, विभाग, केन्द्रीयकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण और उनके लंबित होने की समीक्षा मंत्रालय या विभाग के संबंधित अधिकारी के साथ नियमित बैठक करता है। पिछली ऐसी समीक्षा बैठक पांच जनवरी, 2021 को हुई थी।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक मंत्रालय / विभाग में एक आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है। मंत्री ने कहा, सभी मंत्रालयों/ विभागों में शिकायत अधिकारियों को लोक शिकायतों के निवारण का दायित्व दिया गया है।

सभी मोर्चों पर विफल मोदी सरकारः तृकां

नई दिल्ली, एजेंसी

तृणमूल कांग्रेस (तृकां)ने नरेंद्र मोदी सरकार पर रक्षा, सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा में विफल रहने तथा संसदीय गरिमा और संघीय ढ़ांचे को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए गुरुवार को राज्यसभा में कहा कि कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर वह आंदोलनरत किसानों के साथ हैं। तृकां के डेरेक ओ ब्रायन ने सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण की धन्यवाद प्रस्ताव चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि फिलहाल देश में एक विफल सरकार है जो सभी प्रमुख मुद्दों पर नाकाम रही है। इससे देश में डराने धमकाने का माहौल बन गया है। पत्रकारों, राजनेताओं और सामाजिक कार्यकताओं को डराया धमकाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अपनी रोजी रोटी और जमीन बचाने को लेकर देशभर के किसान आंदोलन की राह पर है।

गाजीपुर बॉर्डर पर कील उखाड़ने को लेकर दिल्ली पुलिस बोली-

लोगों की परेशानी देखकर ही कीलों की सिर्फ जगह बदली गई

नई दिल्ली, एजेंसी। केन्द्र के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के आवागमन को रोकने के मद्देनजर गाजीपुर सीमा पर सड़कों पर लगायी गयी कीलों का स्थान परिवर्तित किया जा रहा है। पुलिस के एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को इसकी जानकारी दी। गाजीपुर सीमा के पास से कीलों को निकालते कर्मचारियों के फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस का यह बयान आया है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हल्की बारिश

नई दिल्ली, एजेंसी। राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में गुरुवार सुबह हल्की बारिश हुई जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गजियाबाद और आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम दर्ज की बारिश होती रहेगी।

प्रवीण ने सीबीआई के अंतरिम निदेशक का कामकाज संभाला

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के गुजरात कैडर के अधिकारी प्रवीण सिन्हा ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अंतरिम निदेशक के तौर पर गुरुवार से अपना कामकाज संभाल लिया। वर्ष 1988 बैच के अधिकारी प्रवीण सिन्हा सीबीआई के अतिरिक्त निदेशक हैं।

पूर्वोत्तर रेलवे

खुली ई–निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से मंडल रेल प्रबन्धक / इंजीनियरिंग / पूर्वोत्तर रेलवे / लखनऊ द्वारा निम्नलिखित कार्यो हेतु आनलाईन 'खुली' ई–निविदायें आमंत्रित की जाती है जिसका विवरण नीचे निम्नवत है:–

ई–निविदा संख्या: NER-LJN-2021-08, कार्य का नामः लक्ष्मीपुर–नौतनवां स्टेशनों के मध्य किमी. 24/4 पर कैनाल ब्रिज सं. 18ए का ओपन वेब गर्डर (1x45.70 mt.) द्वारा निर्माण कार्य, अनुमानित लागत (₹): 5,92,90,001.32, समापन अवधिः 15 माह। (1) उपरोक्त ई–निविदा संख्या NER-LJN-2021-08 के लिये ई–निविदा दिनांक 23-02-2021 को 15:00 बजे तक अपलोड की जा सकती है तथा उसी दिन समय 15:00 बजे के बाद ई–निविदा खोली जायेंगी। (2) उपरोक्त ई–निविदा से सम्बन्धित सभी सूचना, निम्नतम अर्हता, नियम एवं शर्तो का पूर्ण विवरण पूर्वोत्तर रेलवे के वेबसाइट www.ireps.gov.in पर उपलब्ध है। निविदाकार ई–निविदा प्रपत्र को अपलोड करने से पूर्व इस ई–निविदा सूचना से सम्बन्धित वेबसाइट पर उपलब्ध शुद्धि पत्र (यदि, कोई हो तो) को भी संज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।

मण्डल रेल प्रबन्धक / इंजीनियरिंग, लखनऊ

मुजाधि / डब्लू–253

यात्री सुविधा सम्बन्धित शिकायत हेतु मो.नं.: 09794845955 पर एसएमएस करें।

गाड़ियों की छतों व पावदान पर कदापि यात्रा न करें।

Morning Glory Leasing & Finance Limited

CIN: L67120DL1984PLC018872

Tel. No.: +91 11 47119100

Regd. Off: Iris House, 16, Business Centre, Nangal Raya, New Delhi- 110046

Email: morninggloryleasing@gmail.com

Website: www.morninggloryleasing.in

NOTICE

NOTICE is hereby given that, pursuant to Regulation 47(1) of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that the meeting of the Board of the Directors of the Company will be held on Thursday, 11th February, 2021 at Registered office of the Company, to inter-alia, consider and approve the Un-audited Financial Results for the Quarter and nine months ended 31.12.2020.

Further, details of this notice are available on Website of the company at www.morninggloryleasing.in and also on the Website of MSEI Ltd. (www.msei.in).

For Morning Glory Leasing & Finance Ltd.

Date : 04.02.2021 Sd/-

Place : New Delhi Payal Madaan

Company Secretary cum Compliance Officer

विशेष रेलगाड़ियाँ

रेलयात्रियों के सुविधाजनक आवागमन के लिए रेलवे द्वारा निम्नलिखित पूर्णतः आरक्षित विशेष एक्सप्रेस रेलगाड़ियाँ निम्न समय-सारणी के अनुसार चलाई जाएगी:-

02005/02006 नई दिल्ली - कालका - नई दिल्ली शताब्दी विशेष एक्सप्रेस रेलगाड़ी (प्रतिदिन)

गाड़ी सं. 02005 आगमन	गाड़ी सं. 02005 प्रस्थान	↓ स्टेशन ↑	गाड़ी सं. 02006 आगमन	गाड़ी सं. 02006 प्रस्थान
----	17:15	नई दिल्ली	10:15	----
21:15	----	कालका	----	06:15

चलने के दिन: 02005 नई दिल्ली से प्रतिदिन दिनांक 08.02.2021 से तथा **02006 कालका** से प्रतिदिन 09.02.2021 से।

ठहराव: पानीपत, कुरूक्षेत्र जं., अम्बाला छावनी जं. एवं चण्डीगढ़ जं. स्टेशन।

स्थान: एग्जीक्यूटिव एसी चेयर कार एवं एसी चेयर कार।

04212/04211 नई दिल्ली - आगरा छावनी - नई दिल्ली विशेष एक्सप्रेस रेलगाड़ी (प्रतिदिन)

गाड़ी सं. 04212 आगमन	गाड़ी सं. 04212 प्रस्थान	↓ स्टेशन ↑	गाड़ी सं. 04211 आगमन	गाड़ी सं. 04211 प्रस्थान
----	17:40	नई दिल्ली	10:00	----
21:30	----	आगरा छावनी	----	06:00

चलने के दिन: 04212 नई दिल्ली से प्रतिदिन दिनांक 10.02.2021 से तथा **04211 आगरा छावनी** से प्रतिदिन 11.02.2021 से।

ठहराव: शिवाजी ब्रिज, तिलक ब्रिज, हज़रत निज़ामुद्दीन, ओखला, तुगलकाबाद, फरीदाबाद, फरीदाबाद न्यू टाउन, बल्लभगढ़, असावती, पलवल, होडल, कोसी कलां, छाता, मथुरा जंक्शन, दीन दयाल धाम और राजा की मंडी स्टेशन।

स्थान: प्रथम वाता./द्वितीय वाता., एसी चेयर कार, चेयर कार एवं द्वितीय श्रेणी कुर्सीयान (आरक्षित)

नोट: रेलगाड़ियों और रेलवे स्टेशनों पर सामाजिक दूरी व सैनिटाइजेशन आदि सहित कोविड-19 से संबंधित राज्य एवं केंद्र सरकार के सभी नियमों और अन्य सभी सावधानियों का पालन करना अनिवार्य है।

रेलयात्रियों से अनुरोध है कि उपरोक्त रेलगाड़ियों के मार्ग में पड़ने वाले स्टेशनों की विस्तृत समय–सारणी की जानकारी के लिए रेलमदद हेल्पलाइन नं. 139 पर सम्पर्क करें अथवा रेलवे की वेबसाइट https://enquiry.indianrail.gov.in देखें अथवा NTES App देखें।

रेलमदद हेल्पलाइन नं. 139

रेलमदद वेबसाइट देखें :- www.railmadad.indianrailways.gov.in

रेलमदद ऐप डाउनलोड करें

262/2021

उत्तर रेलवे

आपकी सुविधा - हमारा ध्येय

हमें www.nr.indianrailways.gov.in पर मिलें

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

दिशा-निर्देश यूजीसी ने विश्वविद्यालयों /संस्थानों को आरक्षण व बैकलॉग संबंधी सर्कुलर कुलसचिव को जारी किया

नियुक्तियों में आरक्षण लागू करने का देना होगा हिसाब

प्रात: किरण/ संवाददाता

- आरक्षण नीति और बेकलॉग पूरा करने के सख्त निर्देश के साथ -साथ वेबसाइट पर उसे डिसप्ले करे।
- आरक्षित पदों का बैकलॉग भी भरना होगा ,करें वेबसाइट पर डिसप्ले।

नई दिल्ली। दिल्ली यूनिवर्सिटी समेत देशभर के तमाम केंद्रीय, राज्य व मानद विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों (रजिस्टार) को यूजीसी के उप सचिव ने सर्कुलर जारी कर सरकार की आरक्षण नीति को लागू करने के संदर्भ में लिखा है। यूजीसी ने अपने सर्कुलर में कहा है कि वह सभी विश्वविद्यालय ,कॉलेजों में सभी स्तरों पर शैक्षिक व गैर शैक्षिक एससी/एसटी/ओबीसी ,ईडब्ल्यूएस व दिव्यांगों के आरक्षण को लागू करने संबंधी प्रगति पर लगातार निगरानी रख रहा है।

उन्होंने सर्कुलर में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी केंद्रीय सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों/कॉलेजों/संस्थानों को सरकार की आरक्षण नीति संबंधी नीति को उचित तरीके से लागू करना अनिवार्य है। दिल्ली टीचर्स एसोसिएशन (डीटीए) ने यूजीसी द्वारा जारी आरक्षण संबंधी सर्कुलर पर खुशी जाहिर करते हुए इसे तुरंत लागू करने की डीयू के कार्यवाहक कुलपति स मांग की है। आम आदमी पार्टी के शिक्षक संगठन दिल्ली टीचर्स एसोसिएशन (डीटीए) के प्रभारी प्रोफेसर हंसराज सुमन ने बताया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा विश्वविद्यालयों को भेजे गए अपने सर्कुलर में कहा गया है कि अपने यहां सभी शैक्षिक व गैर-शैक्षिक (टीचिंग और नॉन टीचिंग) पदों पर सरकार की आरक्षण नीति को उचित तरीके से लागू करना अनिवार्य है ।साथ ही समय-समय पर आरक्षण रोस्टर को अपनी वेबसाइट तथा आम जगहों पर भारत सरकार द्वारा जारी नियमों के अनुसार उसे डिसप्ले/प्रदर्शित करना आवश्यक है ।उन्होंने यह भी बताया है कि आरक्षण और रोस्टर को लागू करते समय सरकार के द्वारा जारी नियम 2 जुलाई 1997 से लागू करते हुए दिया जाए। प्रोफेसर सुमन ने बताया है कि यूजीसी द्वारा इस सर्कुलर में विश्वविद्यालय/कॉलेजों/संस्थानों से कहा है कि शैक्षिक व गैर-शैक्षिक सभी पदों पर रिक्त बैकलॉग सीटों पर आरक्षित सीटों को भरा जाए। उन्होंने इस संदर्भ में पूर्व में यूजीसी के द्वारा भेजे गए पत्र का हवाला दिया है ।उन्होंने इस बाबत शैक्षिक व गैर-शैक्षिक पदों पर आरक्षण के साथ छात्रों के एडमिशन तथा हॉस्टल में भी इस नीति को लागू करने के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।इसके अलावा सभी विश्वविद्यालय / कॉलेज इस संदर्भ में अधिसूचना भी जारी करे कि कितने आरक्षित श्रेणी के एडमिशन हुए है। उन्होंने बताया है कि यूजीसी ने यह भी निर्देश दिए हैं कि विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले सभी कॉलेजों को भी यह सूचित करें और इस संदर्भ में रिपोर्ट प्रस्तुत करें। प्रोफेसर सुमन ने आगे बताया है कि इस सर्कुलर में यह भी निर्देश दिया गया है कि जो सूचनाएं व निर्देश दिए गए हैं उन्हें सभी सवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों को भी सूचित करें । उन्होंने बताया है कि सर्कुलर में यूजीसी ने सख्त कदम उठाने की बात की है और कहा है कि एस सी/एस टी, ओबीसी पदों को भरने हेतु मॉनिटर करने के लिए उच्च स्तरीय जांच समिति गठित करनी चाहिए, साथ ही सभी स्तरों पर बेकलॉग रिक्तियों की पहचान के प्रयास किए जाने चाहिए और पता लगाना होगा कि किन कारणों से यह रिक्तियों का बेकलॉग है । उन्होंने बताया है कि यूजीसी ने अपने पत्र में लिखा है कि यह पता लगाया जाए कि किन कारणों से बेकलॉग रिक्तियां नही भरी है। रिक्त बेकलॉग पदों कोभरा जाए। उन्होंने यह भी बताया है कि सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को यह निर्देश दिए हैं कि टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों के बेकलॉग रिक्तियों को पूरा करना होगा और उसकी सुनिश्चित रिपोर्ट सभी आंकड़ो एवं सूचनाओं के साथ भेजनी होगी ताकि पता चल सके कि कितने पदों को भरा है कितने रिक्त पड़े हैं ।प्रोफेसर सुमन का कहना है कि जिस तरह से डीयू ने अपने विभागों के विज्ञापन निकाले है और अब